भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2411

05 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

ih,e,okbZ ds fy, f'kdk;r fuokj.k d{k

2411- **Jh banzk gkax lqCck%**
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k fiNys rhu o"kks± ds nkSjku ljdkj }kjk ih,e,okbZ ds fy, LFkkfir f'kdk;r fuokj.k izdks"B esa izkIr f'kdk;rksa dh la[;k esa o`f) gqbZ gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(

¼[k½ D;k izdks"B dks izkIr 62 izfr'kr f'kdk;rksa dk lacaèk jktlgk;rk u izkIr gksus dks ysdj gS vkSj ;fn gka] rks f'kdk;rksa dh fLFkfr D;k gS(

¼x½ D;k ik= ykHkkfFkZ;ksa dks ih,e,okbZ dk ykHk ugha fey ik jgk gS(vkSj

¼?k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ljdkj bl leL;k ls dSls fuiVuk pkgrh gS\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमयूआई-यू) मिशन के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों 2017, 2018 और 2019 के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों की संख्या क्रमशः 1,842, 2,895 और 3,214 है, इन शिकायतों में इस स्कीम के अंतर्गत पात्रता के मानदंड, आवेदन की स्थिति, सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) से संबंधित सूचना, किस्त / सब्सिडी जारी करने की वस्तुस्थिति, शिकायतों के साथ-साथ अन्य मामलों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

(ख) से (घ): जी, नहीं। सब्सिडी न मिलने से संबंधित शिकायतों की प्रतिशतता काफी कम अर्थात 62 प्रतिशत है। संबंधित केंद्रीय नोडल एजेंसियों नामतः राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लोमिटेड (हडको) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि

पीएमयूआई-यू मिशन के ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।

******